भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 805

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई परियोजनाएं

805. श्री शशांक मणि:

श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि के साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएमवाई) के तहत स्वीकृत, पूरी हो चुकी और कार्यान्वयन के तहत सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएमकेएसवाई के तहत प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सिंचाई-न्यून और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई, जलसंभर विकास और ऑन-फार्म जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जल की कमी, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए पीएमकेएसवाई 'हर खेत को पानी' के तहत किसी विशेष रणनीति का निर्धारण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सेब, कीवी और अन्य बागवानी फसलों के लिए ड्रिप और छिड़काव सिंचाई के विस्तार के लिए कोई विशेष केंद्रीय सहायता या पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत, पूरी की गई और कार्यान्वयन के अधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा और साथ ही विगत पाँच वर्षों अर्थात वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	उत्तर प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
पीएमकेएसवाई- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी)			
1.	शामिल किए गए प्रोजेक्ट्स की संख्या	4	3
2.	पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स की संख्या	2	0
3.	कार्यान्वयन के तहत के प्रोजेक्ट्स की सं.	2	3
4.	पिछले पाँच वर्षों में दी गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये)	23.91	2,351.50
पीएमकेएसवाई- सतही लघु सिंचाई (पीएमकेएसवाई-एसएमआई)			
1.	शामिल किए गए प्रोजेक्ट्स की संख्या	-	129*
2.	पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स की संख्या	-	108
3.	कार्यान्वयन के तहत प्रोजेक्ट्स की संख्या	-	21
4.	पिछले पाँच वर्षों में दी गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये)	-	377.61

*हिमाचल प्रदेश की 129 सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं में से 28 परियोजनाओं से शिमला जिले को लाभ मिलता है।

(ख) और (ग): पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल उत्तर प्रदेश की चार परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं, नामतः सरयू नहर परियोजना और बाणसागर नहर परियोजना, से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से जैसे कि बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले लाभान्वित होते हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से इन जिलों में 13.23 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तैयार की गई है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा खेतों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतगत वर्ष 2015-16 से उत्तर प्रदेश में 5.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया है। इसके अतिरिक्त, भूमि संसाधन विभाग द्वारा लागू की जा रही पीएमकेएसवाई की वाटरशेड डेवलेप्मेंट घटक के अंतर्गत 305 परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

(घ) और (ङ): सिंचाई के दायरे को बढ़ाने और पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए, 20.38 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सहित हिमाचल प्रदेश के 129 एसएमआई परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई के एचकेकेपी घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और इनमें से 28 परियोजनाओं से शिमला ज़िला लाभान्वित होगा।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 से पीडीएमसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 13.58 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई का विकास किया गया है। इसमें से 1,518 हेक्टेयर भूमि शिमला ज़िले में है, जिसमें बागवानी फ़सलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई भी शामिल है।
